1210

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उप कोषाधिकारी - 9 JAN 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AB 527165

रमेशचन्द्र सरोज
उपरोकड़िया उपकोषागार
मछलीशहर-जौनपुर

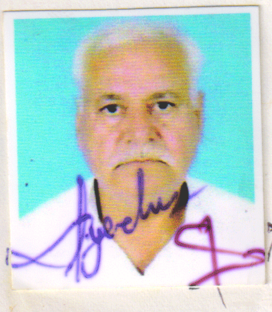

पूरक-पत्र

माँ कर्मा देवी शिक्षण संस्थान (माँ कर्मा देवी शिक्षण संस्थान ट्रस्ट) 4451845745

दिनांक 16.06.2013 को माँ कर्मा देवी संस्थान न्यास (माँ कर्मा देवी शिक्षण संस्थान ट्रस्ट) श्रीमान उपनिम्बधंक महोदय मछलीशहर द्वारा विलेख बही संख्या 4 जिल्द संख्या 15 पृष्ठ संख्या 61 से 90 तक क्रमांक 35 पर निष्पादित किया गया है। किन्तु उस विलेख में शांसनादेश संख्या 2762/15-13-91(-4-46/91) दिनांक 30 नवम्बर 1991 में उल्लेखित बिन्दुओं का लिपिकीय त्रुटि बस नही हो पाया था।

अतः आज दिनांक 18.02.2019 को इस पूरक पत्र के माध्यम के द्वारा शासनादेश द्वारा उल्लिखित बिन्दुओं को लिखित किया जा रहा है। यह बढ़ाया गया बिन्दु मूल ट्रस्ट विलेख के अंग होगें।

1. विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा। (हा)
2. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेघावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगा। और उसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद व बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा। (हा)

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

उप कोषागार -9 JAN 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AB 527166

रमेशचन्द्र सरोज
उपकोष्ठिया उपकोषागार
मछलीशहर-जौनपुर

3. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी। यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री स्कूल एजुकेशन नई दिल्ली/काउसिंल फार दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्सामिनेशन स्कूल नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा। (हा)
4. संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमय वेतनमानो तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें। (हा)
5. कर्मचारियों को सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त उ0मा0विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराया जायेगे। (हा)
6. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उसका पालन करेगी। (हा)
7. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेग। (हा)
8. उक्त शर्तो में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन नही किया जायेगा। (हा)

यह पूरक पत्र मूल ट्रस्ट विलेख का अंग पढ़ा लिखा व माना जायेगा।

लिहाजा यह पूरक विलेख लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।